

To Timetooth Tech.
Fax - 011-66173626



F-07-17

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र

CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन / DEFENCE R&D ORGANISATION

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय / GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF DEFENCE

मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, / MARATHAHALLI COLONY P.O To

बेंगलूरु - 560 037 / BENGALURU - 560 037 Mr. Girish Mudgal

अभिकल्प अनुमोदन सं.: 176

DESIGN APPROVAL NUMBER 176

From
Anamath Kogji
CEMILAC.

फर्म का नाम / Name of the Firm: मेसर्स टाइमटूथ तकनॉलजीस प्राइवेट लिमिटेड,
उत्तर प्रदेश - 201 301

M/s Timetooth Technologies Private Limited, Noida, Uttar Pradesh - 201 301

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स टाइमटूथ तकनॉलजीस प्राइवेट लिमिटेड, सी-93, सेक्टर-2, नोयडा - 201 301, उत्तर प्रदेश में स्थित वर्क सेंटर को निम्नलिखित क्षेत्र के अभिकल्प तथा विकास से संबंधित क्रियाकलापों का उत्तरदायित्व लेने हेतु अभिकल्प अनुमोदन जारी किया गया है:

This is to certify that M/s Timetooth Technologies Private Limited, with its work center located at C-93, Sector-2, Noida - 201 301, Uttar Pradesh is hereby issued with Design Approval to undertake Design and Development Activities in the following area:

“वायुयान अंडरकैरिज प्रणाली के अभिकल्प एवं विकास तथा वायुयान/हेलिकॉप्टर्स हेतु सीटिंग सिस्टम”
“Design and Development of Aircraft Undercarriage System and Seating System for Aircraft / Helicopters”

2. यह अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों पर आधारित है:-

The approval is subjected to the following conditions:

i) अभिकल्प अनुमोदन में यह इंगित है कि मेसर्स टाइमटूथ तकनॉलजीस प्राइवेट लिमिटेड, स्वयं ही उपरिलिखित क्षेत्र के कार्यकलापों का उत्तरदायित्व लेने हेतु सक्षम है। तथापि, प्रत्येक प्रकरण में अभिकल्पित और विकसित प्रत्येक उत्पाद के वायुयान या हेलिकॉप्टर प्रणाली में उपयोग के आधार पर संबंधित आर सी एम ए से आवश्यक अस्थाई अनुमति या सेमिलैक से बर्ग अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

The design approval indicates that M/s Timetooth Technologies Private Limited is capable of undertaking the above mentioned scope of activities on their own. However, necessary provisional clearance from the concerned RCMA or Type Approval from CEMILAC, is required to be obtained for each product Designed and Developed, on a case to case basis depending on its use in the Aircraft or Helicopter System.

ii) यह अनुमोदन अनुच्छेद-1 में सूचित कार्यकलापों के लिए ही लागू होगा।

The scope of approval is applicable to those activities indicated above in Para-1 only.

iii) यह प्रमाणपत्र जारी करने की दिनांक से तीन (03) वर्ष तक यह अनुमोदन वैध है, बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता।

*The approval is valid for a period of **Three (03) Years** from the date of issue of this certificate, unless otherwise suspended, revoked or cancelled.*

iv) अगर अभिकल्प अनुमोदन में कोई परिवर्तन करना हो जैसे कि अनुमोदन क्षेत्र में कुछ जोड़ना/घटाना, प्राधिकृत हस्ताक्षर-कर्ताओं की सूची अथवा फर्म का पता में कोई परिवर्तन करना हो तो सेमिलैक की पूर्व सहमति लेनी होगी। अवसंरचना, तकनीकी संसाधन और मानव-शक्ति से संबंधित कोई अपग्रेडेशन, जोड़ना, विस्तारण क्रियाकलाप फर्म द्वारा लिया गया है तो सेमिलैक को शीघ्र ही सूचित करना होगा तथा अभिकल्प अनुमोदन में जहाँ आवश्यक है वहाँ उसे सम्मिलित करने के लिए तदनुसार फर्म द्वारा निवेदन किया जाना चाहिए।

Prior approval of CEMILAC is required to effect any changes in this Design Approval such as addition / deletion in the scope, list of Authorized Signatories and change of firm's address. Any up-gradation, addition, expansion activities taken up by the firm regarding the infrastructure, technical resources and manpower shall be promptly intimated to CEMILAC and wherever necessary, proper incorporation into this design approval shall be requested by the firm accordingly.

v) अभिकल्प अनुमोदन के अंतर्गत सेना वायुयानों, हेलिकॉप्टरों एवं उसकी प्रणालियों के लिए किए गए अभिकल्प तथा विकास कार्यक्रम एवं उसकी स्थिति की एक संक्षिप्त रिपोर्ट प्रत्येक छः (06) महीने की अवधि में अनिवार्य रूप से सेमिलैक को भेजना होगा जो कि उत्तरवर्ती नवीकरण के लिए अनिवार्य है।

A brief write-up on Design & Development Activities undertaken and their completion status under the scope of the approval for Military Aircraft, Helicopters and relevant systems has to be forwarded to CEMILAC at every six (06) months interval. This is mandatory and essential requirement for subsequent renewal of the Design Approval.

vi) इस प्रमाणपत्र के परिशिष्ट 'ए' में प्राधिकृत हस्ताक्षर-कर्ता की सूची संलग्न है। अभिकल्प विशेषज्ञ, उनके नाम के आगे दर्शाए गए निश्चित कार्य क्षेत्र की रिपोर्ट में हस्ताक्षर करेंगे और उनके द्वारा हस्ताक्षरित रिपोर्ट ही सेमिलैक/ आर सी एम ए द्वारा स्वीकृत की जाएगी। फर्म के मुख्यस्थ को अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित करना है कि इस सूची के सभी सदस्यों का नाम फर्म के पंजी में पूर्णकालिक नियमित कार्मिक के रूप में होना है। अगर इस सूची में से कोई भी सदस्य फर्म छोड़ रहा है तो उनका प्राधिकरण तुरंत ही रद्द माना जाएगा।

The list of Authorized Signatories is placed as Appendix -'A' to this Certificate. These Design experts will sign the reports on the areas of work defined against their names and the reports with their signatures only will be accepted by CEMILAC / RCMA's. The head of the firm has to mandatorily ensure that all the members of this list are on the rolls of the firm as full time regular employees. If any member of this list quits the firm, this authorization of individual shall stand cancelled with immediate effect.

vii) हाल ही में विकसित/गढ़े हुए वस्तुओं को, डी जी ए क्यू ए/ सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित गुणवत्ता आश्वासन पहलू एवं घोषित निष्पादन आवश्यकताओं को पूर्ण करना होगा।

The newly developed / fabricated items must be subjected to meet both the Quality Assurance aspects & declared performance requirements, as cleared by DGAQA / competent inspection authority.

viii) प्रमाणपत्र में दिए गए शर्तों के पालन के सत्यापन हेतु वर्क सेंटर और फर्म के कार्यालय परिसर अनुमोदन की वैधता अवधि में कभी भी सेमिलैक द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

The work center and office premises of the firm may be subjected to inspection by CEMILAC at any point of time during the validity period of this approval, to verify the adherence to conditions laid out herewith.

K. D. Datta
Anand

P. Jayapal

पी. जयपाल / P. JAYAPAL
मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता) /
Chief Executive (Airworthiness)

संलग्न / Encl: परिशिष्ट 'ए' / Appendix 'A'

संदर्भ सं.: /Ref No.: सेमिलैक/CEMILAC/6042/डीए/DA-176/टीसी एंड एस/TC&S

दिनांक / Dated : 17 May 2017

Appendix-'A'**LIST OF AUTHORISED SIGNATORIES**

**M/s Timetooth Technologies Private Limited,
Noida, Uttar Pradesh – 201 301**

(This Refers to Para – 2 (vi) of certificate No.: CEMILAC/6042/DA-176/TC&S)

SI. No.	NAME & DESIGNATION	SCOPE OF APPROVAL
1	Shri. Girish Mudgal Director	Head of Design - Engineering Performance & Airworthiness
2	Shri. Amitav Chaudhuri Director	Head of Design - Manufacturing and Procurement
3	Smt. Janhavi Kiran Nene Engineering Manager	Lead Design Engineer - Structures and Energy Absorption
4	Shri. Gagan Sharma Engineering Manager	Lead Design Engineer - Structures and Manufactures
5	Shri. Nilajyoti Bhattacharya Engineering Manager	Lead Engineer - Vibrations and Durability
6	Shri. Kaustubh Kapure Engineering Manager	Lead Engineer - Mechanisms and Actuation

Ph w 1

पी . जयपाल / P. JAYAPAL

मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता)
Chief Executive (Airworthiness)

Date: **17** May 2017